पथ निर्माण विभाग

बिहार सरकार

अधिसूचना

संख्या-- प07 / नियम--03 / 2016   3162-(S)   पटना, दिनांक --

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 283(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग ... बिहार के राज्यपाल बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के नियम 163 को निम्नलिखित ... के प्रभाव से प्रतिस्थापित करते हैं :-

"163 (1). ऐसे मामले जहाँ मूल्यांकन हेतु एक से अधिक वित्तीय बोली (Financial ... हो तो न्यूनतम दर अनुमोदित किए जाएगें। एक से अधिक निविदादाता का दर समान ... स्थिति में संबंधित निविदादाताओं की उपस्थिति में लॉटरी के माध्यम से निविदादाता ... होगा।

(2). तकनीकी बोली (Technical Bid) के मूल्यांकन के पश्चात् वित्तीय ... (Financial Bid) के मूल्यांकन हेतु मात्र एक निविदा शेष हो तो तुरन्त दोबारा निविदा ... की जाएगी।

परन्तु आपवादिक परिस्थिति में ऐसी एकल वित्तीय बोली वाली निविदा ... सचिव / सचिव की अध्यक्षतावाली विभागीय निविदा समिति द्वारा निर्णय लिया जा सकता है ... कि ऐसे कार्यों के लिए विभागीय मंत्री का इस आशय का पूर्व अनुमोदन प्राप्त हो कि ... परिस्थिति प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य आपातकालीन प्रकृति की स्थिति जैसे ... व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, पड़ोसी देशों से हितकारी संबंधों इत्यादि के कारण है। संबंधित ... निविदा आमंत्रण के पूर्व ही विभागीय मंत्री का उक्त अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(3) पुनर्निविदा आमंत्रण के पश्चात् भी यदि तकनीकी बोली के मूल्यांकन ... वित्तीय बोली के मूल्यांकन हेतु मात्र एक निविदा शेष रह जाती है तो ऐसे मामले का ... सक्षम प्राधिकार से एक स्तर के उपर के प्राधिकार द्वारा किया जाएगा।

परन्तु ऐसी निविदाएँ जिसके निष्पादन हेतु प्रधान सचिव / सचिव की ... वाली विभागीय निविदा समिति सक्षम प्राधिकार है तो इस समिति का निर्णय अंतिम ... ऐसे मामलों को विभागीय मंत्री के समक्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता)
सरकार के संयुक्त सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

Scanned by CamScanner